

SJU - Contact No. +91 9301915303

E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसमूह छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन ने मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा समर्पक हेतु No 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीजल एडवोकेट श्री ताराका श्रवास्त (अधिकार, मानवीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्डियन होर्ड के सदस्यों कुम सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी त्रिगुदे एवं अन्य ने शासन को सचवाक ज्ञापित किया, और कल कि संघ के पास सामाजिक अत्याचार अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सखम व्यक्तियों के साथ संघ की ओर प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हस्त में लेकर वेहासल, गरीब, परित्यक्त, विधवाओं के उद्धार के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं
नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता फैलाना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और अमर संघ के द्वारा अधिकारिक नियुक्तियों की जावेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निवारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विविधनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्त हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत विधिक सहायता को व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से संपर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी वेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासीयों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधि एवं संवैधानिक प्रतिक्रिया के कार्यक्रमों के इस संघ द्वारा संवैधानिक किया जावेगा तथा लीजल एडवोकेट के अन्तर्गत के कार्य में सक्रिय जावेगा।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन कल पीड़ित को परेशानी से पहुँचाना जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाक़ात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता की करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिपोर्ट कार्यक्रम किया जावेगा, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, संस्थानों तथा ओर प्रस्तुत किया जाएगा।
- संघ सामाजिक कुर्बानियों को दूर करने के लिए कार्यरतता का आवेदन भी करेगा। संघ देश के भूते विस्तरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करवाएगा।

पटिए
न्यायसक्शी सलाकार-प्रश्न
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

समी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU